राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(3)10 / मो. / आईसीडीएस / 2013 / 135911–953 जयपुर, दिनांकः 25/7/18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–मानदेय कर्मियों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में।
प्रसंगः–विभागीय आदेश क्रमॉक एफ.11(3)10 / मो. / आईसीडीएस / 2013 / 70835 दिनांक 27.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशं के द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् भी मानदेय सेवा जारी रखने की इच्छुक और शारीरिक व मानसिक रूप से फील्ड कार्य करने में सक्षम मानदेयकर्मियों की सेवा अवधि विस्तार के लिए विभाग द्वारा प्रकिया निर्धारित की गई थी। अनेक स्थानों से उक्त प्रकिया से हटकर पुनः सेवा विस्तार की इच्छुक मानदेयकर्मियों से नए योग्यता / शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मांग की जा रही है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार सेवा विस्तार हेतु मानदेय कार्मिकों से किसी प्रकार के नए योग्यता / शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मांग नहीं की जाए। शेष प्रकिया विभागीय आदेश क्रमॉक एफ.11(3)10 / मो. / आईसीडीएस / 2013 / 70835 दिनांक 27.04.2018 के अनुसार पूर्ववत् रहेगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(3)10 / मो. / आईसीडीएस / 2013 / जयपुर, दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर